बिहार सरकार
<u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग</u>

पत्रांकः–6 / ज–2–10353 / 06–   पटना, दिनांकः–

सेवा में,

महालेखाकार
बिहार, पटना।

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, सासाराम के अन्तर्गत **बरॉव कला ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना** हेतु 65.616 लाख की राशि पर स्वीकृत योजना के अन्तर्गत योजना के विद्युत संयोजन एवं अन्य किये गये कार्यों के भुगतान के लिए राज्य वार्षिक योजना के तहत अतिरिक्त 3.268 लाख (तीन लाख छब्बीस हजार आठ सौ रूपये मात्र) रूपये का व्यय करने की स्वीकृति।

आदेशः–राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, सासारामके अन्तर्गत **बरॉव कला ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना** हेतु 65.616 लाख की राशि पर स्वीकृत योजना के अन्तर्गत योजना के विद्युत संयोजनएवं अन्य किये गये कार्यों के भुगतान के लिए राज्य वार्षिक योजना के तहत अतिरिक्त 3.268 लाख (तीन लाख छब्बीस हजार आठ सौ रूपये मात्र) रूपये का व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना की स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक– 6 / रा0ग्रा0पे0यो0–104 / 2009–2368, पटना दिनांक–23.12.2009 के द्वारा 65.616 लाख रूपये पर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई थी। इय योजना के कार्यों को पूरा कर चालू करने हेतु 3.268 लाख रूपये की अतिरिक्त आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन में लागत राशि में वृद्धि होने पर इसका वहन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत नहीं किया जाना है। इस आलोक में योजना की लागत राशि में बढ़ी हुई राशि का वहन राज्य योजना मद के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही राशि से किया जायेगा।

3. उक्त राशि का व्यय राज्य योजना मद के बजट शीर्ष– 4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति, लघुशीर्ष–102– ग्रामीण जल पूर्ति– माँग संख्या– 36– उपशीर्ष–0101– ग्रामीण जलापूर्ति योजना, विपत्र कोड–P 4215011020101 राज्य योजना स्कीम कोड–PUB5350 विषय शीर्ष– 53 01 मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष से वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए प्रावधानित राशि से विकलनीय होगा।

4. स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, सासाराम होंगे। राशि की निकासी कोषागार, सासाराम से की जायेगी। योजना पर होनेवाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा।

5. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

6. योजना एवं गैर योजना मदों में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007–96 वि0 (2) दिनांक– 03.01.08 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति दी जाती है।

7. वर्ष 2014–15 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं योजना बजट में इसके लिए प्रावधान है।

8. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक:– 1712 पटना, दिनांक– 22.8.14

प्रतिलिपि:–

1. वित्त विभाग (बजट शाखा)/जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम)/कोषागार पदाधिकारी, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, नागरिक/मुख्य अभियंता, यांत्रिक/कार्यपालक अभियंता (मो0)/उप निदेशक (मू0)/सहायक अभियंता (मो0)/कम्प्यूटर प्रोग्रामर/आई0टी0, मैनेजर/प्रशाखा– 6, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना/अधीक्षण अभियंता, सासाराम/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/8/14
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव